



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)  
मंत्रालय, भोपाल

कमांक 520/1056/2015/सूअप्र/1-9

भोपाल, दिनांक 26/05/2022

प्रति  
20/6/2022

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश।

विषय:— सहायक लोक सूचना, लोक सूचना एवं अपीलीय अधिकारियों के कक्षों के सामने नाम/विभाग की पट्टिका लगाने के संबंध में।

संदर्भ:— इस विभाग के परिपत्र दिनांक 01.09.2015, 06.08.2019 एवं 20.09.2021।

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। जिनके द्वारा समस्त विभागों को संदर्भित पत्र दिनांक 01.09.2015 में उल्लेखित अनुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये थे। किन्तु उक्त आदेश का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।

2/ अतः सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 01.09.2015 की छायाप्रति पुनः संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त पत्र में उल्लेखित अनुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

  
(मधु निगम)  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

*Joshya for uploading pl*  
*17/06/2022*



सूचना का अधिकार


// 2 //

521 / 1056 / 2015 / सूअप्र / 1-9

भोपाल, दिनांक 26 / 05 / 2022

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर,
  2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल,
  3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
  4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
  5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
  6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
  7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल,
  8. मंत्री/राज्यमंत्री गण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
  9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
  10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
  11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल,
  12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
  13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
  14. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना / अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
  15. मुख्य सचिव के सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
  16. आयुक्त, जन सम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल,
  17. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल,
  18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल,
  19. अवर सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग। कृपया उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (सूअ.प्र.) की बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
  20. अवर सचिव (स्थापना) एवं केयर टेकर (अधीक्षण) शाखा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ओर सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग(कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन के सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों के कक्षों के सामने नाम/विभाग की पट्टिका लगाने हेतु कड़ाई से पालन करें,
  21. रिकार्ड नस्ती।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासनविभाग (सूअप्र)

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 485 / 1056 / 2015 / सूअप्र / 1-9  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 1-9-2015

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित जानकारी।

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में सम्पन्न होने वाली सुनवाईयों एवं आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में यह देखा जा रहा है कि लोक सूचना अधिकारी के नाम व उनकी समय अवधि इत्यादि ज्ञात करने में ही काफी समय व्यतीत हो जाता है। इससे प्रकरणों के निराकरण में असुविधा होती है। अतः आयोग स्तर पर प्रकरणों के निराकरण में सुगमता एवं शीघ्रता के दृष्टिगत कृपया निम्नानुसार कार्यवाही करने के लिए सा.लो.सू.अ./लो.सू.अ./अपीलीय अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. समस्त लोक सूचना अधिकारी जानकारी देते समय पद नाम के नीचे अपना नाम भी उल्लेखित करें।
2. समस्त कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं पद के बोर्ड के साथ पदस्थ रहे लोक सूचना अधिकारियों की समय अवधि का भी बोर्ड लगाया जाए एवं इसकी प्रथक सूची रिकार्ड में रखी जाए। यही प्रक्रिया प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम के बोर्ड लगाने एवं उनका रिकार्ड रखने में भी अपनाई जाएं।
3. जब भी मान0 मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई हेतु लोक सूचना अधिकारी को आहूत किया जाए अथवा आदेश क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी चाही जाए तो लोक सूचना अधिकारी इस स्पष्ट जानकारी व मूल नस्ती के साथ उपस्थित हो कि मूल आवेदन प्रस्तुत करते समय लोक सूचना अधिकारी कौन थे, जानकारी प्रदान करने व आयोग के आदेश का क्रियान्वयन करने का भार किस अधिकारी पर था। संबंधित लोक सूचना अधिकारी की पदस्थापना यदि निरंतर.....

//2//

अन्यत्र हो, तो उनका नाम व वर्तमान पदस्थापना की जानकारी तथा उक्त क्रमांक 2 अनुसार संबंधित कार्यालय में समय समय पर पदस्थ रहे समस्त लोक सूचना अधिकारियों की सूची भी साथ लेकर आए।

कृपया उपरोक्त निदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(राजेश कौल)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

पृ.कं 486 / 1056 / 2015 / सूअप्र / 1-9

भोपाल, दिनांक 1-9-2015

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
8. मंत्री/राज्यमंत्री गण, के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/अपरसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
15. मुख्य सचिव, के सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
17. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल,
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल की ओर आपके पत्र क्रमांक/रासूअ/स्था0/अपी.शिका./2015/11697 दिनांक 22.08.2015 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिठ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)